



2831

दृष्टान् 2280700
2280710
ना येता केन्द्र, 10 असोजा मार्ग, ललाला-228001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2127 / 36 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : 20 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बदायूँ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
ऑपरेटर बैंक आफ कर्मस	08242041006241	IFSC Code ORBL0100624	678.640

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद/ निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त राशि	अवमुक्त धनराशि
1	बदायूँ/सौदपुर	37	228	1	393.220
2	बदायूँ/मुडिया	37	168	1	285.420
	योग				678.640

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में विनिहित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये:-

- उम्प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रलेक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य रारकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो उम्प्र० शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि झूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित रातों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।



293/2
२०१५

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, રાજી.

पुस्तक 226
22601
મ. બાંડ નેન્ડ, 10 બ્રહ્માણ્ડ પાર્ક, રાજી-એ-226001

- 5— प्रश्नमत परियोजना में घमतान के पूर्ण व्याख्या के दृष्टि सम्बन्धी अभिनव विधिक प्रतिवर्ती के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6— सूડा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही प्रनराशि का उपायोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह रपोर्ट की गई है। किसी प्रवर्तन का व्यवर्तन अनुगमन न होगा, अन्यथा की रियति में जापन के सम्बन्धी अधिकारी रायुक्त रूप से उत्तरदायी होगे।
- 7— सूડा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही प्रनराशि सम्बन्धित कार्यदारी संस्था से छूड़ा द्वारा प्रथम किश्त की प्रेषित प्रनराशि में उल्लिखित कार्यवालोंपूर्व (अनुबन्ध) की कार्यगाही पूर्ण कर ली गयी छोटी अथवा अनुबन्ध विष्यादित दरने के उपरान्त प्रनराशि कार्यदारी संस्था को अवमुक्त की जाये।
- 8— छूड़ा द्वारा कार्यदारी संस्था को अवमुक्त नहीं दियी प्रनराशि के सापेक्ष व्याप की गयी प्रनराशि के अनुरूप रूपल पर सम्पादित किये गये कार्य विष्यों ने पानक के अनुसार गुणवत्ताप्रक है, आदि का अनुश्रवण स्थानीय रार पर छूड़ा के सामाजिक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के हारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवतीय,

(लाल प्रताप रिंह)
मिला जियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैत

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेसित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जेला नगरीय विकास अभिकरण, सामवन्धीत जनपद।
2. निदेशक, सी० एप्ड ली०एस०, ज०प० ज० निर्म, लखनऊ।
3. श्री रांजीव अग्रवाल, सहायक परियो अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूડा।
4. कम्प्यूटर रोल—सूડा।
5. लेखा विभाग—सूડा।

(लाल प्रताप रिंह)
मिला जियन्त्रक